रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-03112026-277598
CG-AP-E-03112026-277598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5583] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5583] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण तट रेलवे)
(सड़कसुर क्षापरियोजना)

अधिसूचना

विजयवाड़ा, 26 अक्तूबर, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत सूचना

का.आ. 5808(अ).— जबकि, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या S.O. 1416(E), दिनांक 16.03.2026, जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II खंड 3 उप-खंड (ii), दिनांक 19.03.2026 में प्रकाशित हुई थी (जिसे आगे 'उक्त अधिसूचना' कहा गया है) और जिसे रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20(A) की उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया था, उसके माध्यम से केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में ओंगोल रूरल मंडल के करावडी गांव में ओंगोल-करावडी स्टेशनों के बीच Km. 298/14-16 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग (LC) नंबर 213 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित किया है;

और जबकि, इस अधिनियम की धारा 20A की उप-धारा (1) के तहत, मनोज कुमार, मुख्य अभियंता (निर्माण, सड़क सुरक्षा परियोजनाएं), दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद की मंजूरी से इस अधिसूचना का एक अंश दैनिक समाचार पत्रों 'आंध्र ज्योति' और 'साक्षी डेली न्यूज़ पेपर' में 03/04/2026 को प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी (LA) और राजस्व मंडल अधिकारी, ओंगोल को आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले के ओंगोल रूरल मंडल के करावडी गांव के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है और उन्होंने धारा 20D(2) के तहत आदेश पारित कर दिए हैं;

और जबकि, इस अधिनियम की धारा 20(E) की उप-धारा (1) के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब, सक्षम अधिकारी की रिपोर्ट मिलने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(E) की उप-धारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि अनुसूची में बताई गई ज़मीन को ऊपर बताए गए मकसद के लिए हासिल किया जाएगा;

इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (2) के तहत, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके यह घोषणा करती है कि अनुसूची में बताई गई ज़मीन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में आ जाएगी और वह सभी तरह के बोझ या दावों से मुक्त होगी।

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली ज़मीन का विवरण: आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम ज़िले में ओंगोल रूरल मंडल के करावडी गाँव में, ओंगोल और करावडी स्टेशनों के बीच Km. 298/14-16 पर लेवल क्रॉसिंग (LC) नंबर 213 की जगह रोड ओवर ब्रिज का निर्माण, ताकि यात्रियों और माल ढुलाई के लिए सुविधा मिल सके। किसी खास रेलवे प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहण की जाने वाली ज़मीन (संरचनाओं के साथ या बिना) का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	20 A नोटिफिकेशन के अनुसार सर्वे नंबर और सब-डिविजन	20 A नोटिफिकेशन के अनुसार LPM नंबर	SDR के अनुसार सर्वे नंबर और सब-डिविजन	SDR के अनुसार LPM	अधिग्रहण के तहत क्षेत्र (एकड़-सेंट)	ज़मीन का प्रकार (सरकारी/ निजी)	ज़मीन की प्रकृति	पट्टाधारक और कब्ज़ेदार का नाम	क्षेत्रफल (एकड़-सेंट)	पेड़ आदि, यदि कोई हों	निर्माण	टिप्पणियां
1	196	1694	196/1	1694	0.89	सरकारी	तालाब	--	0.89	तालाब		
2	639	1714	639/1	1714	1.682	सरकारी	पैदल रास्ता	--	1.682	पैदल रास्ता		
3	645-B	1749	645-B	1749	0.296	सरकारी	रेलवे लाइन	--	0.296	रेलवे लाइन		
4	648-A	1515	648-A-2B	1515	0.835	सरकारी	तालाब	--	0.835	तालाब		
5	648-B	4571	648-B	4571	0.178	सरकारी	रेलवे लाइन	--	0.178	रेलवे लाइन		
6	647	1785	647 -1	1785	0.072	सरकारी	पैदल रास्ता	--	0.072	पैदल रास्ता		
7	652-4	4753	652-4A	4753	0.106	निजी	ग्राम स्थल	श्री नेलाबोटला वेंकटेश्वर सरमा, अध्यक्ष, ब्राह्मण सेवा समिति	0.018	ग्राम स्थल	भवन	
								पुस्तकालय, ग्राम पंचायत, करावडी	0.17		भवन	

								श्रीमती मन्ने अरुणा	0.02		डायस (खुला शेड निर्माण)	
								श्री वाकाप्रसन्न कुमार रेड्डी, अध्यक्ष, श्री अयप्पास्वामी देवालय अभिवृद्धि समिति, करावाडी	0.022		मंदिर	
								ग्राम पंचायत रोड	0.029		रोड	
कुल					4.059				4.059			

[फा. सं. RSP/Gazette/20E/LC.No.213/GDR-BZA/BZA]

के. सैमन, मुख्य परियोजना प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Coast Railway)

(Road Safety Projects)

NOTIFICATION

Vijayawada, the 26th October, 2026

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 5808(E).— Whereas, by the notification by Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1416(E). Dated.16.03.2026 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3 Sub section (ii), dated. 19.03.2026 (herein after referred to as said notification) and issued under sub section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing **(LC) No. 213 at Km. 298/14-16 in between Ongole – Karavadi stations** in Karavadi village of Ongole Rural Mandal in Prakasam District in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intension to acquire such land.

And whereas an extract of this notification was published in the daily newspapers the Andhra Jothi and Sakshi Daily News paper on 03/04/2026 and 03/04/2026 with the approval of Manoj Kumar, Chief Engineer, Construction, Road Safety Projects, South Central Railway, Secunderabad, under sub -section (1);Section 20A of this Act.

And Whereas, Competent Authority (LA) & Revenue Divisional Officer, Ongole have not received objections for Karavadi Village of Ongole Rural Mandal of Prakasam District of Andhra Pradesh State and passed orders U/s.20D(2).

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20(E) of this Act, the Competent Authority has submitted its

report to the Central Government.

Now therefore, on receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands mentioned in the Schedule have been annexed to be obtained here for the purpose mentioned above;

Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of this Act, the Central Government, hereby declares on publication of notification in the Official Gazette, that the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government is free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 213 at Km. 298/14-16 in between Ongole – Karavadi stations in Karavadi village of Ongole Rural Mandal in Prakasam District in the State of Andhra Pradesh jurisdiction for passenger and freight facility. Brief description of land to be acquired with or without structures in a particular railway project.

S. No.	Sy.No & Sub-Division as per 20 A Notification	LPM No. as per 20 A Notification	Sy.No & Sub-Division as per SDR	LPM as per SDR	Area under Acquisition in Acs. cts	Type of land (Govt/Pvt)	Nature of Land	Name of the Pattadar& Enjoyer	Extent in Ac.cts	Trees etc., if any	Structures	Remarks
1	196	1694	196/1	1694	0.89	Govt.	Tank	--	0.89	Tank		
2	639	1714	639/1	1714	1.682	Govt.	Foot path	--	1.682	Foot path		
3	645-B	1749	645-B	1749	0.296	Govt.	Rail road	--	0.296	Rail road		
4	648-A	1515	648-A-2B	1515	0.835	Govt.	Tank	--	0.835	Tank		
5	648-B	4571	648-B	4571	0.178	Govt.	Rail road	--	0.178	Rail road		
6	647	1785	647-1	1785	0.072	Govt.	Foot path	--	0.072	Foot path		
7	652-4	4753	652-4A	4753	0.106	Pvt.	Village site	Sri Nelabotla Venkateswara Sarma, President, Brahmana Sseva Samithi	0.018	Village site	Building	
								Library, Gram Panchayat, Karavadi	0.017		Building	
								Smt.Manne Aruna,	0.02		Dias (open shed construction)	
								Sri VakaPrasanna Kumar Reddy, President,	0.022		Temple	

								Sri Ayyappaswamy Devalaya Abhivruddhi Committee, Karavadi				
								Gram Panchayat Road	0.029	Road		
TOTAL					**4.059**				**4.059**			

[F. No. RSP/Gazette/20E/LC.No.213/GDR-BZA/BZA]

K. SIMON, Chief Project Manager/Gati Shakti

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.11.03 17:06:32 +05'30'